



160909 - जिस व्यक्ति को किसी ने गोद ले लिया हो और उसे स्वयं से संबंधित कर लिया हो तो वह क्या करे और क्या उस हराम निसबत -संबंध- से उसका निकाह करना सही है ?

प्रश्न

मेरी एक सहेली एक ऐसे युवक से शादी करना चाहती है जिसके माता पिता की पिछले वर्ष मृत्यु हो गई, और यह युवक उन दोनों का गोद लिया हुआ बेटा था, उसको गोद लेने वाले बाप ने उसका नाम रखा।

उसने अपने वास्तविक माता पिता को पाने की बहुत कोशिश की ; किंतु कोई फायदा नहीं हुआ ; क्योंकि वह अब इकतीस वर्ष का है।

मेरा प्रश्न यह है कि : यदि उसका लक़ब या उसके परिवार का नाम उसको गोद लेने वाले बाप के अधीन है तो क्या उस नाम से उसका निकाह सही है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

गोद लेने का निषेध कुरआन व सुन्नत और विद्वानों की सर्वसहमति के साथ प्रमाणित है, अतः किसीके लिए जाइज़ नहीं है कि वह अपने बापके अलावा किसी अन्य की ओर मंसूब हो। तथा जो व्यक्ति- उदाहरण के तौर पर – किसी अनाथ की देखरेख का ज़िम्मेदार है उसके लिए जाइज़ नहीं है कि वह उसे अपनी तरफ और अपने कबीले की तरफ मंसूब करे, बल्कि उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह उसे उसके बाप की ओर मंसूब करे। यदि उसके बाप का पता न हो, तो उसे अपनी तरफ भाई चारा या दोस्ती व वफादारी के तौर पर मंसूब करे (और वह गठबंधन की सरपरस्ती है, गुलामी से आज़ादी की सरपरस्ती नहीं है), और यह ऐसी चीज़ है जिस पर पारिवारिक नियमों (पर्सनल ला) के क्षेत्र में अमल नहीं किया जाता है।

इस युग में आदमी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने जीवन में एक शिक्षार्थी, एक कार्यकर्ता और वैवाहिक रूप से चल सके। तथा उस आदमी की स्थिति में जिसे गोद लिया गया है जिसके बापका पता नहीं है कि उसकी ओर उसे संबंधित किया जाये : तो राज्य को चाहिए कि उसे एक (काल्पनिक) मुक्कब नाम की ओर मंसूब करे, किसी विशेष व्यक्ति या किसी खास कबीले (जनजाति) से संबंधित न करे।



तथा गोद लिए गयेव्यक्ति को चाहिएकि अपने माता पिताको तलाश करने काइच्छुक बने,क्योंकि इस परशरई अहकाम और मनोवैज्ञानिकप्रभाव निष्कर्षितहोते हैं।

तथा जिन बातोंका वर्णन हो चुकाउनके बारे मेंतर्कसहित और विद्वानोंके कथनों के साथअधिक जानकारी केलिए : प्रश्न संख्या(126003), (5201),और (10010) के उत्तरदेखें।

दूसरा :

गोद लिए गए व्यक्तिकी शादी के सहीहोने का उसके नामको सही करने सेकोई संबंध नहींहै ; क्योंकिनिकाह की शर्तेंजिन पर उसका सहीहोना निर्भर करताहै वे : पति और पत्नीका निर्धारण,पत्नी के सरपरस्त- जिम्मेदार - कीतरफ से ईजाब औरपति की तरफ से स्वीकृति,पत्नी की सहमति,और गवाहों की उपस्थितिया निकाह का एलान,तथा रूकावटों कीअनुपस्थितिहैं।

और शादी के इच्छुकआदमी के नाम काउस आदमी से संबंधितहोना जिसने उसेगोद लिया है शादीकी शर्तों मेंसे किसी शर्त सेनहीं टकराता है,क्योंकिशादी के अंदर केवलयह निर्धारित करनाहै कि यह वही विशिष्टव्यक्ति है,उसके बाप के नामया उसके खानदानके नाम की परवाहकिए बिना,बल्कि यहाँ तककि यदि वह शादीके बाद अपना नामबदल दे, तोइस से शादी पर कोईप्रभाव नहीं पड़ेगा,क्योंकिशादी में अपेक्षितवह व्यक्ति हैजिसका नाम लियागया है, उसका नामनहीं है।

तथा - महत्व के लिए- प्रश्न संख्या(104588) का उत्तर देखें,उसके अंदर "पति पत्नीके निर्धारण"के शर्त की व्याख्याहै, औरउसके अंदर फर्जनाम के शादी कीप्रामाणिकता कोप्रभावित न करनेका वर्णन है।

यहाँ हम उस व्यक्तिको सचेत करना उचितसमझते हैं जिसने- गलती से या जानबूझकरया अज्ञानता में- किसी व्यक्तिको सरकारी कागज़ातमें अपनी ओर मंसूबकर लिया है, वह राज्यके यहाँ इसको शुद्धकर ले ; ताकि गोदलिए गए व्यक्तिकी निस्वत को बदलदे ; क्योंकिइसके न होने परऐसे अहकाम निष्कर्षितहोते हैं जो मीरासऔर महरमियत वगैरहसे संबंधित हैं।यदि वह ऐसा करनेकी ताकत नहीं रखताहै तो गोद लिए गएव्यक्ति को चाहिएकि वह स्वयं अपनीस्थिति का सुधारकर ले, वह शरई अदालतके पास जाए ताकिवह सरकारी विभागोंको संबोधित करकेउसकी स्थिति कासुधार करे और उसकेलिए ऐसा दस्तावेज़निकालने को कहेजिसमें उसका मुरक्कबनाम हो, जिसमेंवह किसी विशेषव्यक्ति की ओरमंसूब न हो,और संभवहै कि पहला नामवैध नामों मेंकोई भी नाम हो औरदूसरा नाम और उसकेबाद वाला नाम ऐसाहो जिसके द्वाराअल्लाह की इबादतहोती है, जैसे - अब्दुल्लाह,अब्दुलकरीम।

शौख अब्दुल अज़ीज़बिन बाज़ रहिमहुल्लाह-अल्लाह उन परदया करे - नेफरमाया :

“औरउसका शरई नामोंमे से कोई नाम रखेजैसे - अब्दुल्लाहबिन अब्दुल्लाह,अब्दुल्लाहबिन अब्दुल्लतीफ,अब्दुल्लाहबिन अब्दुल करीम,सभी लोगअल्लाह के बंदेहैं, ताकिस्कूलों में उसेहानि न पहुँचे,तथा उसेकमी, संकोचऔर हानि न

पहुंचे। उद्देश्य यह है कि : उसका अल्लाहकी इबादत वाला नाम रखे, जैसे – अब्दुल्लाहबिन अब्दुल करीम, अब्दुल्लाहबिन अब्दुल्लतीफ, अब्दुल्लाहबिन अब्दुल मलिक, और इसके समान अन्य नाम, और यही -इनशा अल्लाह- सही होने के अधिक निकट है, या उसका ऐसा नाम रखे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए योग्य हो, यह भी अधिक सुरक्षित हो सकता है ; क्योंकि उसे उसकी माँ की ओर मंजूब किया जायेगा, यदि उसका ऐसा नाम रख दिया जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उचित है जैसे कि कहे : अब्दुल्लाहबिन अतिय्या बिन अतिय्यतुल्लाह, अब्दुल्लाहबिन हिबतुल्लाह, क्योंकि “हिबतुल्लाह”, “अतिय्यतुल्लाह” पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उचित है।”

“फतावानूरून अलद-दर्ब” (कैसिट न. 83) से समाप्त हुआ।

यदि उसके लिए सरकारी कागजात में ऐसा करना दुर्लभ हो जाए, तो कम से कम जो चीज़ उसके ऊपर अनिवार्य है वह यह है कि वह अपने दैनिक जीवन में इसे लागू करे, इस प्रकार कि वह अपने संबंधियों और आस पास के लोगों के बीच अपने नसब (वंशज) की वास्तविकता को प्रकाशित कर दे, ताकि उसका नसब किसी दूरे के नसब से न मिल जाए, तथा महारिम (वे और तेंजिन से उसका विवाह हARAM है) और मीरास और इसी तरह अन्य अहकाम उसके उपर और उसके आस पास के लोगों पर संदिग्ध न हो जाएं, चुनांचे अवास्तविक नसब के आधार पर वह या उसके बेटे ऐसे व्यक्ति से मिल जाएं जिनसे उनका मिलना वैध नहीं है, और वह उस व्यक्ति का वारिस बन जाए जिसने उसे गोद लिया है, या वास्तविक नसब से उसके रिश्तेदार उस व्यक्ति के वारिस बन जायें, इसके अलावा अन्य अहकाम जो उस गलत नसब पर निष्कर्षित होते हैं।